न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :—57/2020

वादीगण
1. जगदीशराम पुत्र रामलाल
जाति विश्नोई निवासी गोरोमाणियों की ढाणी नगर तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण
1. रामलाल पुत्र भीया
2. नारायणराम पुत्र रामलाल
3. पालूदेवी पुत्री रामलाल
4. रूपा पुत्री रामलाल
5. भगवती पुत्री रामलाल
6. सरस्वती पुत्री रामलाल
जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी
7. तहसीलदार गुड़ामालानी.
8. मैंनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 4/10/21

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 40, 188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा गोरामाणियों की ढाणी पटवार हल्का नगर के खेत खसरा नम्बर 289 रकबा 44—18 बीघा, खसरा नम्बर 318 रकबा 0—04 बीघा तथा खसरा नम्बर 313 रकबा 43—02 बीघा कुल रकबा 88—04 बीघा की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी का वक्त सेटलमेन्ट वादी के दादा पूर्व पुरूष स्व0 भीयाराम के नाम पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी रेकर्ड संधारित हुआ। उनके देहान्त के बाद उक्त मात्र एक पुत्र रामलाल पुत्र भीयाराम को प्राप्त हुई। उक्तवादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के जन्म से ही हक निहित हो चुके हैं। वादी व प्रतिवादी संया 3 ता 6 का उक्त आराजी में प्रतिवादी संया 1/7—1/7 हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:28:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादी मय प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा गोरामाणियों की ढाणी पटवार हल्का नगर के खेत खसरा नम्बर 289 रकबा 44—18 बीघा, खसरा नम्बर 318 रकबा 0—04 बीघा तथा खसरा नम्बर 313 रकबा 43—02 बीघा कुल रकबा 88—04 बीघा की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल पुत्र भीया के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/10/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय नया नगर में खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:28:30 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु.6–7 जाब्ता दीवानी)
(civil Procedure Code Appendix 'D'-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी
व इजलास **श्री प्रमोद कुमार** R.A.S.

वादीगण

1. जगदीशराम पुत्र रामलाल
   जाति विश्नोई निवासी गोरोमाणियों की ढाणी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामलाल पुत्र भीया
2. नारायणराम पुत्र रामलाल
3. पालूदेवी पुत्री रामलाल
4. रूपा पुत्री रामलाल
5. भगवती पुत्री रामलाल
6. सरस्वती पुत्री रामलाल
   जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी
7. तहसीलदार गुड़ामालानी.
8. मैंनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

प्रकरण संख्या :– 57/2020 **निर्णय दिनांक :** 5/10/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता वादीगण व हाजरी प्रतिवादी संख्या 1 मय श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादी मय प्रतिवादी की काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा गोरामाणियों की ढाणी पटवार हल्का नगर के खेत खसरा नम्बर 289 रकबा 44–18 बीघा, खसरा नम्बर 318 रकबा 0–04 बीघा तथा खसरा नम्बर 313 रकबा 43–02 बीघा कुल रकबा 88–04 बीघा की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल पुत्र भीया के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:28:30 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5/10/21 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर SDO गुड़ामालानी

मुहर

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (SDO) गुड़ामालानी
SDO गुड़ामालानी